न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 379/2016 (2016/00744)

1. रोडू पुत्र श्री गीला जाति कीर निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

———वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, केकड़ी जिला अजमेर।
2. मोहन पुत्र श्री रामचन्द्र जाति कीर निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—— प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

1. श्री मिठू सिंह राठौड —वादी अधिवक्ता
2. पैरोकार सरकार — तहसीलदार केकड़ी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक 31.10.2022

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,209 राज. काष्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। कि निम्नलिखित आराजीयात वाके ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1137—1114	4519	0.65	बा.3
	4538	0.03	गै0मु0पत्थर
	4539	0.05	बा.3
	4540	0.35	बा.3
	4544	0.14	बा.3
	4545	0.41	बा.3
	4565	0.08	बा.3
	4566	0.43	बा.3
	कुल किता 8	कुल रकबा 2.14है.	

उक्त वर्तमान खसरा नम्बर 4519, 4538, 4539, 4540, 4544 4545, 4546, 4566 के पुराने खसरा नम्बर 2080 है, जिनसे बने हैं। कुल रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा अर्थात 2.14 हैक्टर है। वाद वर्णित आराजीयात में 1/2 हिस्सा वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का है तथा इसी प्रकार संयुक्त खातेदारी कब्जे, काश्त, स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। वाद वर्णित आराजीयात पुराने राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2040 के खाता संख्या 217—226 खसरा नम्बरी 2082 में वादी एवं वादी के सगे भाई नाथू व जगदीश पिसरान गीला तीनों की खातेदारी में दर्ज है तथा तीनों का बराबर बराबर हिस्सा था। नाथू पुत्र गीला नाओलाद फोत करीब 21 वर्ष पूर्व हो चुका है जिसके वारिस एवं वैद्य उत्तराधिकारी वादी रोडू व जगदीश दोनों भाई थे, इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं था। नाथू की मृत्यु के बाद वादी के 1/2 हिस्सा तथा जगदीश का 1/2 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

खातेदार काश्तकार थे। जगदीश पुत्र गीला ने नाथू की मृत्यु के बाद अपना 1/2 हिस्सा खातेदारी की वाद वर्णित आराजीयात को बालू पुत्र मूला कुमावत को बेचान कर दिया जिसका अमल दरामद वर्किंग जमाबन्दी सम्वत् 2040 में नामा. संख्या 234 दिनांक 23.11.90 से हो चुका है तथा क्रेता बालू ने महावीर पुत्र भैंरू कीर को बेचार कर दी जिसका अमल दरामद भी वर्किंग जमाबन्दी में हो चुका है। तथा महावीर पुत्र भैंरू कीर ने मोहन पुत्र रामचन्द्र कीर प्रतिवादी संख्या 2 को बैचान कर दी जिसका अमल दरामद वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में नामा. संख्या 3738 दिनांक 06.03.2013 से हो चुका है। इस प्रकार वर्तमान में वाद वर्णित आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। नामा. संख्या 234 में मृत नाथू का नाम गलत अंकन हो रखा है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2040 के खाता संख्या 217–227 में नामा. संख्या 576 दिनांक 10.10.97 से नाथू पुत्र गीला फोत होने से उसकी विरासत उसके सगे भाइयों वादी एवं मृतक जगदीश पुत्र गीला के वारिसान के नाम दर्ज हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 एवं राजस्व अधिकारियों सेटलमेंट अधिकारियों की गलती से पुराने राजस्व रेकार्ड सम्वत् 2040 के नामा. संख्या 234 दिनांक 23.11.90 के अनुसार जगदीश ने अपना हिस्सा 1/2 बेचान बालू को कर दिया जिसमें मृतक नाथू का गलत नाम दर्ज कर दिया जबकि शेष 1/2 हिस्सा वादी का शेष रहा जिसे आधार जमाबन्दी सम्वत् 2058 के खाता संख्या 828 में भी गलती से रोडू नाथू पि. गीला के नाम दर्ज कर दिया जबकि नाथू फोत हो चुका था तथा अब केवल वादी वाद वर्णित आराजीयात में 1/2 हिस्सा आराजी का खातेदार काश्तकार होते हुए भी गलती से मृतक नाथू का नाम पुनः वादी के साथ 1/2 हिस्से में वापस बिना सक्षम न्यायालय के आदेश या डिक्री के कर दिया है जो कतई गैर कानूनी एवं अवैध है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी इसी प्रकार गलत इन्द्राज हो रखा है जिसकी जानकारी वादी को राजस्व रेकार्ड की नकलें दिनांक 02.05.2016 व 16.07.2016 को नकल लेने पर हुई है अतः वर्तमान राजस्व रिकार्ड का इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर मृतक नाथू पुत्र गीला का नाम विलोपित किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदारी घोषित किया जाना आवश्यक है इस हेतु प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने में सक्षम अधिकारी है अतः वर्तमान राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर नाथू पुत्र गीला का नाम विलोपित किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड से मृतक नाथू पुत्र गीला का नाम इन्द्राज दुरूस्त कर विलोपित नहीं किया जाता है तथा वादी को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित नही किया जाता है तो वादी को अजहद हानि होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। अतः इन्द्राज दुरूस्त कर मृतक नाथू पुत्र गीला का नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जाकर वादी को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायौचित एवं आवश्यक है। वादपत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर मृतक नाथू पुत्र गीला का नाम विलोपित किया जाकर वादी को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं प्रतिवादी संख्या 1 को आदेश दिया जावें कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर मृतक नाथू पुत्र गीला का नाम विलोपित किया जाकर वादी को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाने का निवेदन अपने दावा में किया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। **प्रतिवादी संख्या–1** जरिये पैरोकार सरकार ने जवाब टिप्पणी अंकित कर बताया कि संलग्न जमाबंदी अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है राजहित प्रभावित नही है प्रतिवादी संख्या–2 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर जवाब बंद किया गया। **शहादतवादी** में गवाह पी.डब्ल्यू–1 श्री रोडू ने शपथ पत्र पेश कर साथ अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2069–2072 प्रदर्श–1, आधार जमाबंदी प्रदर्श–2, वर्किंग जमाबंदी प्रदर्श–3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, नामान्तकरण प्रदर्श–5, नामान्तकरण प्रदर्श–6, व विक्रय पत्र दिनांक 31.10.1990 खसरा नंबर 2082 की फोटोप्रति पेश किये। शहादतवादी बंद कि जाकर अंतिम बहस सुनी गई। **बहस में वादी अधिवक्ता** ने अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराया व वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात में मृतक नाथू पुत्र गीला का नाम विलोपित किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा वादी के पक्ष में स्वीकार किया जाता जाकर वादग्रस्त आराजी ग्राम बघेरा के पुराने खसरा नंबर 2082 जिसके वर्तमान खाता संख्या नया–पुराना 1137–1114 के खसरा संख्या 4519,4539,4538,4540,4544,4545,4546,4566 का कुल रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा है अर्थात 2.14हैक्टर में नाथू (मृतक नाओलाद फौत) का नाम विलोपित किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तहसीलदार केकडी राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज दुरूस्त की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारीः— विकास पंचोली (आर.ए.एस)

1. रोडू पुत्र श्री गीला जाति कीर निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

———वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, केकड़ी जिला अजमेर।
2. मोहन पुत्र श्री रामचन्द्र जाति कीर निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—— प्रतिवादीगण

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 88,89,209 राज. काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नम्बरः— राजस्व वाद 379/2016 (2016/00744)
निर्णय दिनांकः—31.10.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी श्री मिठू सिंह राठौड वकील वादी व पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकडी हाजिर मुद्दावलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है आराजी ग्राम बघेरा तहसील केकडी के पुराने खसरा नंबर 2082 जिसके वर्तमान खाता संख्या नया—पुराना 1137—1114 के खसरा संख्या 4519,4539,4538,4540,4544,4545,4546,4566 का कुल रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा है अर्थात 2.14हैक्टर में नाथू (मृतक नाओलाद फौत) का नाम विलोपित किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तहसीलदार केकडी राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज दुरूस्त की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

चीज .....मुबलिक.....बाबत्.....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.10.2022 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.			खर्चा गवाहान		
फीस कमिष्नर.			फीस कमिष्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	——	——	मुतफरिक	——	——
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner